2019/00078

न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर

पीठासीन अधिकारी :– प्रदीप सिंह सांगावत, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या 5/2019 (राजसमन्द आर्डर)

वाला पिता गमाना जी भील, निवासी डाबुन, तहसील खमनोर, जिला राजसमन्द (मृतक) के बजाय :–

उदयलाल पिता वाला जी भील, निवासी डाबुन, तहसील खमनोर, जिला राजसमन्द (राज.)

.... अपीलान्ट

बनाम

1. मंदिर मण्डल, नाथद्वारा जरिये मुख्य निष्पादन अधिकारी, मंदिर मण्डल, नाथद्वारा, जिला राजसमन्द (राज.)
2. कालू पिता ओगडमल उर्फ ओगू जी भील, निवासी निचली ओडन, तहसील नाथद्वारा, जिला राजसमन्द (राज.)

................रेस्पोन्डेन्टगण

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान
काश्तकारी अधिनियम–1955 विरूद्ध
निर्णय उपखण्ड अधिकारी, नाथद्वारा
दिनांक 20.02.2019 प्र.सं. 486/2015

–––/–––

उपस्थित(वक्तबहस) 1– श्री संजय बोहरा अभिभाषक अपीलान्ट
2– श्री ओंकारलाल डांगी अभिभाषक रे.सं. 1

–––::–––

निर्णय **दिनांक 21–03–2024**

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधिनस्थ न्यायालय में हाल अपीलान्ट व रेस्पोन्डेन्ट संख्या 2 कालू ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251–क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि राजस्व ग्राम नाथूवास की खाता संख्या 20 में कुल किता 8 रकबा 5 बीघा 2 बिस्वा, खाता संख्या 40 की कुल किता 1 रकबा 4 बीघा 3 बिस्वा एवं खाता संख्या 25 की कुल किता 11 रकबा 6 बीघा 14 बिस्वा की जोत की विशिष्टीया जिनमें से अपेक्षित किसी [illegible] को विस्तार करने या चौडा करने का आशय [illegible] नंबर 44 रकबा 17 बीघा 15 बि[illegible] 5 बीघा 15 बि[illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.10.30 12:35:42 IST
Reason: SelfAttested

भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर (राज.)

कुल किता 2 रकबा 43 बीघा 10 बिस्वा भूमि पर मौके पर रास्ता विद्यमान है तथा प्रार्थीगण उपयोग–उपभोग करते चले आ रहे हैं, किन्तु राजस्व अभिलेख में उक्त रास्ते का अंकन नहीं होने से 40 फिट चाड़ा रास्ता दिलाया जावे।

विपक्षी की ओर से जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि धारा 251 (1) उपधारा (2) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम अनुसार प्रार्थना पत्र चलने योग्य नहीं है, न ही प्रार्थीगण किसी प्रकार की अनुज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी हैं। प्रार्थीगण का विपक्षी की भूमि से कभी कोई रास्ता नहीं रहा है, न ही वर्तमान में कोई रास्ता है। अतः प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे।

अधिनस्थ न्यायालय ने उभयपक्षों की बहस सुनकर अपने निर्णय दिनांक 20–02–2019 से प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्ट/प्रार्थी संख्या 1 वाला द्वारा इस न्यायालय में यह अपील दिनांक 01–04–2019 को प्रस्तुत की गयी है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्टगण को नोटिस जारी किये जाने पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 की ओर से अधिवक्ता श्री ओंकारलाल डांगी उपस्थित हुए, जबकि रेस्पोन्डेन्ट संख्या 2 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहे। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर उभयपक्ष की बहस सुनी गयी।

दौराने बहस अभिभाषक अपीलान्ट ने बताया कि कानूनन किसी भी खातेदार की जमीन रास्ते के लिए अवाप्त की जा सकती है, चाहे खातेदार नाबालिग ही क्यों न हो, लेकिन अधिनस्थ न्यायालय ने इस पर कोई गौर नहीं किया है तथा मौका रिपोर्ट स्पष्ट होते हुए भी उसे अनदेखा का रास्ते बाबत् प्रस्तुत प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया, जो त्रुटि पूर्ण होने से अपास्त योग्य है। अतः अपील स्वीकार कर रास्ते बाबत् आदेश पारित किया जावे।

उक्त बहस का जवाब देते हुए अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट ने बताया कि अपीलान्ट ने वाला की मृत्यु दिनांक 10–11–2019 को होना बताकर वाला की पत्नी कसालीबाई को वाला की एक मात्र वारिस होना बताया है तथा यह भी अंकित किया है कि वाला के अन्य कोई वारिस नहीं है। अब दूसरा प्रार्थना पत्र उदयलाल को वाला का पुत्र होना बताकर पेश किया है, जो मयाद बाहर है तथा अपील अबेट हो चुकी [illegible]मेन्ट को निरस्त कराने हेतु कोई भी प्रार्थना पत्र पेश नहीं किया है। अतः [illegible] खारिज भी किया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.10.30 12:35:42 IST
Reason: SelfAttested

अनु[illegible] अधिकारी
पूर्व पदेन [illegible] अपील अधिकारी
उदयपुर (राज.)

हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया। अभिभाषक अपीलान्ट ने दिनांक 17–01–2020 को आदेश 22 नियम 3 जा.दी. का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वाला की मृत्यु दिनांक 10–11–2019 को हो चुकी है, जिसकी एक मात्र वारिस उसकी पत्नी कसालीबाई है इसके अलावा वाला के अन्य कोई वारिस नहीं है, किन्तु पुनः दिनांक 17–08–2020 को आदेश 22 नियम 3 जा.दी. का एक अन्य प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर वाला के वारिसों में कसालीबाई के अलावा पुत्र उदयलाल व पुत्रियां लक्ष्मीबाई, गंगाबाई, ख्यालीबाई, भगवतीबाई, देवली, पुष्पा को होना बताकर कसालीबाई व वाला की सभी पुत्रियों द्वारा उदयलाल के पक्ष में हक त्याग करना बताकर वाला के स्थान पर उदयलाल को रेकार्ड पर लेने का निवेदन किया, जिससे स्पष्ट है कि अपीलान्ट द्वारा दिनांक 17–08–2020 को नामकायमी का जो दूसरा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है, वह मियाद बाहर प्रस्तुत किया गया है, जिससे अपील अबेट हो चुकी है तथा अबेटमेन्ट को निरस्त कराने हेतु कोई प्रार्थना पत्र भी अपीलान्ट द्वारा पेश नहीं किया गया है, जिससे अपील अबेट हो जाने से खारिज योग्य है।

अतः अपील अबेट हो जाने से खारिज की जाती है तथा अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 20–02–2019 यथावत रखा जाता है। पत्रावली बाद पूर्ण प्रविष्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटायी जावे। निर्णय आज दिनांक 21–03–2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(प्रदीप सिंह सांगावत)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.10.30 12:35:42 IST
Reason: SelfAttested